न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—535/2011/75 (2011/00066)

1. श्रीमती लाडी देवी पत्नी स्व0 खेमसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम मदारपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. नगर सुधार न्यास, अजमेर जरिये सचिव ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।
3. मदनसिंह पुत्र स्व0 सुख्खा,
4. श्रीमती गेन्दी पत्नी स्व0 बीरमसिंह पुत्रवधु स्व0 सुख्खा,
5. भगवानसिंह पुत्र बीरमसिंह पौत्र स्व0 सुख्खा,
6. लालसिंह पुत्र बीरमसिंह पौत्र स्व0 सुख्खा,
7. ज्योतिष पुत्र स्व0 बीरम पौत्र स्व0 सुख्खा,
8. श्रीमती पपीता पुत्री स्व0 बीरमसिंह पौत्री स्व0 सुख्खा,
9. श्रीमती आपू पत्नी भगवानसिंह,

समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम मदारपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।

रेस्**पोडेंटस**

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर, आदेश क्रमांक राजस्व/एफ. 12/04/3711/19 दिनांक 25.2.2004.

उपस्थितः—

1. श्री एन0एस0राजावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री गिरीश पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 2 .
4. श्री राजकुमार रावत, वकील रेस्पो0 संख्या 3 से 9.

निर्णय

दिनांकः— 30.8.2019

1. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमांक एफ. 12/04/3711/19 दिनांक 25.2.2004 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मदारपुरा, तहसील व जिला अजमेर अवस्थित साबिक खाता संख्या 72 के साबिक खसरा नंबर 760 व 762 जिनके नवीन खसरा नंबर 1103 रकबा 4—13—00 व 1105 रकबा 3—2—10 की कृषि भूमियां शामलात देह हब्ज कमेटी जो कि भूतपूर्व अजमेर राज्य का खालसा ग्राम था । जिन कृषियों भूमियों पर अपीलांट के पूर्वाधिकारी काबिज काश्त रहने से हक, खातेदारी अधिकार अन्य कृषि भूमियों के साथ प्रदान किये जाकर तद्नुसार चौसाला जमाबदी संवत् 2015 से 2018 के खाता संख्या 72 में अंकन किये गये । इन कृषि भूमियों का अन्य कृषि भूमियों के साथ सहखातेदारान के मध्य हुए आपसी बाह्मी विभाजन के तहत मूल खातेदार भोलूसिंह के हक व में हिस्से मे प्राप्त हुई जिनके स्वर्गवास के बाद उनके एकमात्र वारिस ज्ञानसिंह वल्द

भोलूसिंह जो कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड वर्किंग जमाबंदी में खातेदारी अंकित है । ज्ञानसिंह के स्वर्गवास के बाद उसकी पत्नि श्रीमती गुलाबी के नाम जरिये विरासत नामांतकरण संख्या 25 दिनांक 30.12.1988 के अनुसार खातेदार अंकित किया गया है । जिनके द्वारा खसरा नंबर 1100, 1101, 1102, 1104, 1110, 1111, 1123, 1124, 1146, 1313, 1328, 1336, 1337, 1338, 1339, 1342, 1354, 1324, 1085 का विक्रय अपीलांट को किया जाकर भौतिक आधिपत्य संभलाया गया । जिन पंजीकृत विक्रयपत्रों के आधार पर जरिये नामांतकरण संख्या 185 दिनांक 21.5. 2007 व नामांतकरण संख्या 187 दिनांक 5.6.2007 के द्वारा अपीलांट के नाम खातेदारी का अंकन किया जा चुका है । जिन कृषि भूमियों के साथ कब्जे काश्त के आधार पर हाल खसरा नंबर 1103 व 1105 जो कि उक्त कृषि भूमियों के मध्य स्थित है, का भी भोतिक आधिपत्य संभलाया गया । परन्तु खसरा नंबर 1103 व 1105 की कृषि भूमियों को वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण इंद्राज कारित कर सिवायचक अंकित कर दिया । जिसके आधार पर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश दिनांक 25.2.2004 के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 नगर सुधार न्यास, अजमेर के पक्ष में हस्तातंरित की जाकर आदेश की पालना में नामांतकरण संख्या 87 दिनांक 10.3.2004 के जरिये नगर सुधार न्यास, अजमेर के नाम दर्ज कर दी गई । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस करते हुए बहस में कथन किया कि विद्वान जिला कलक्टर का आदेश दिनांक 25.2.2004 न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलांट एवं उनके पूर्वाधिकारी के खातेदारी एवं आधिपत्य की कृषि भूमियों का सिवायचक दर्ज करने तत्पश्चात् नगर सुधार न्यास, अजमेर को हस्तातंरित किए जाने संबंधी दोनों ही आदेश अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किए बिना तथा बिना सक्षम न्यायालय के आदेश व डिक्री के पारित किए गए है जो एकपक्षीय होकर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि विधिक प्रावधानों एवं प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में किसी भी खातेदार के खातेदारी अधिकार सक्षम न्यायालय के आदेश व डिक्री की पालना में अथवा राजस्थान काश्त0अधि0 1955 की धारा 63 में उल्लेखित प्रावधानों के आधार पर ही समाप्त किये जा सकते है परन्तु रेस्पो0 संख्या 1 व 2 उनके अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उक्त विधिक प्रक्रिया के विपरीत विधिक प्रक्रिया की पालना किए बिना खातेदारी को निरस्त किया गया है जो कि पूर्णतया विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि विद्वान जिलाधीश द्व ारा आदेश दिनांक 25.2.2004 के आधार पर आराजी मुतनाजा रेस्पो0 संख्या 1 को हस्तातंरित की है उस आदेश में उल्लेखित शर्त संख्या 5 व 6 में अधिरोपित शर्तानुसार भी आदेश दिनांक 25.2.2004 अपीलांट के पूर्वाधिकारी के पैतृक खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि पर लागू नहीं होकर प्रभावित नहीं करते है । विद्वान जिला कलक्टर ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा बिना विवादित भूमि के मौके की जांच कराये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश विवादित आराजियात की हद तक निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन एकपक्षीय आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.11.2011 को हुई जब प्रार्थिया द्वारा आराजी मुतनाजा से संबंधित नवीन प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की गई तो ज्ञात हुआ कि विवादित आराजियात नगर सुधार न्यास, अजमेर के नाम दर्ज कर दी गई । तत्पश्चात् अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु 30.11.2011 को आवेदन किया किन्तु प्रार्थी को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त नहीं हुई । इसके उपरांत अपीलांट ने फोटो प्रतियों के आधार पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील में हुआ विलंब उचित है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब बहस में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजियात सिवायचक होने से विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने नगर सुधार न्यास, अजमेर को हस्तांरित की है । उक्त आदेश की पालना में रेस्पो0 संख्या 1 के नाम नामांतकरण भी स्वीकृत हो चुका है। विवादित आराजियात से अपीलांट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

7. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है। विवादित आराजियात वर्तमान में अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज होकर रेस्पो0 संख्या 1 का ही कब्जा है । विवादित आराजियात से अपीलांट का कोई संबंध नहीं है न ही कब्जा काश्त है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का कथन है कि खसरा नंबर 1100, 1101, 1102, 1104, 1110, 1111, 1123, 1124, 1146, 1313, 1328, 1336, 1337, 1338, 1339, 1342, 1354, 1324, 1085 का विक्रय अपीलांट को किया जाकर भौतिक आधिपत्य संभलाया गया था इन भूमियों के साथ विक्रेता ने अपीलांट को खसरा नंबर 1103 व 1105 का भी आधिपत्य संभलाया था तब से अपीलांट विवादित आराजियात पर काबिज काश्त चला आ रहा है। विवादित आराजियात खसरा नंबर 1103 व 1105 अपीलांट अथवा उसके विक्रेता के नाम राजस्व रिकार्ड खातेदारी में दर्ज रहने के संबंध में अपीलांट ने कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो कि विवादित आराजियात अपीलांट अथवा उसके पूर्वजों के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही हो । बरवक्त हस्तातंरण विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज थी जिसको हस्तातंरण करने का विद्वान जिला कलक्टर को पूर्ण विधिक अधिकार है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजियात अपीलाधीन आदेश की पालना में जरिये नामांतकरण संख्या 87 दिनांक 10.3.2004 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के नाम दर्ज होकर खातेदारी में दर्ज है । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में क्या त्रुटि है यह अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक एफ.12/04/3711/19 दिनांक 25.2.2004 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 30.8.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,अजमेर